न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 80/2025 निर्णय दिनांक:30.03.2026
ऑनलाईन नम्बर 2025/159

खुमदास पुत्र संतोकदास जाति स्वामी निवासी कुनपालसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रार्थी—

बनाम

1. देबूसिंह
2. सायरसिंह

पुत्रगण तेजपालसिंह जातियान राजपूत निवासीगण कुनपालसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़।

—अप्रार्थीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री राजाराम नैण अभिभाषक प्रार्थी ।
2. श्री ललित कुमार मारू अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 ता 2
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी का एक खेत खसरा नम्बर 174 तादादी 5.8100 हैक्टेयर वाके रोही मौजा कुनपालसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है। प्रार्थी ने उक्त खेत अप्रार्थीगण के पिता स्वर्गीय तेजमालसिंह से बरवे विक्रय पत्र दिनांक 16.04.1978 को खरीदशुद्धा खेत है। प्रार्थी अपने वादगत खेत खसरा नम्बर 174 में आवागमन के लिए ग्राम कुनपालसर से ग्राम बम्बू चलने वाले कटाणी मार्ग मार्क A से B जो अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 172 मे से जाता है उसमे से मार्क C से फटकर खसरा नम्बर 172 के उतरी सींव सींव होते हुए अपने खरीदशुद्धा व खातेदारी खेत खसरा नम्बर 174 में प्रवेश करता है। प्रार्थी अपने खेत को खरीदने के समय से लेकर आज तक आवागमन इसी रास्ता से करता है। प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु यही एकमात्र रास्ता सदामद से रहा है। इस रास्त के अलावा प्रार्थी के खेत मे आवागमन हेतु कोई अन्य सुगम व सुलभ रास्ता नही है प्रार्थी ने जिस समय वादगत खेत अप्रार्थीगण के पिता से खरीदा था तब प्रार्थी ने वर्णित रास्ता के बदले अपने खेत मे से अप्रार्थीगण को भूमि दे रखी है। प्रार्थी के वादगत खेत के वर्णित रास्ता को अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 बंद कर देना चाहते है व प्रार्थी को आवागमन हेतु मना करते है तथा रास्ते को अवरूद्ध कर रखा है। जिसे खुलवाने हेतु प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1व 2 से दिनांक 10.05.2025 को निवेदन किया लेकिन अप्रार्थीगण बार बार रास्ता को अवरूद्ध करते रहते है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 174 तादादी 5.8100 हैक्टेयर का विद्यमान रास्ता जिसकी चौड़ाई 5 मीटर है अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 172 तादादी 17.6500 हैक्टेयर मे मुमकिन [illegible] 2100 हैक्टेयर मे से गांव

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.04.28 16:15:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

कुनपालसर से ग्राम बम्बू जाने वाले कटाणी रास्ता जो खसरा नम्बर 172 मे से जाता है उसमे से फंटक़र खसरा नम्बर 172 के उतरी सींव सींव के पास पास से होकर अपने खेत खसरा नम्बर 174 मे प्रवेश करता है। जिसकी लम्बाई 191 मीटर व चौड़ाई 5 मीटर है। प्रार्थी के खेत के रास्ते को दर्शाते हुऐ नजरी नक्शा संलग्न किया जा रहा है जिसमें A से B (लाल स्याही) से कटाणी रास्ता व मार्ग C से D अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 172 की मध्य से गुजरता हुआ रास्ता दिखाया गया है जो रास्ता प्रार्थी के खेत मे प्रवेश करता है। यही रास्ता प्रार्थी के खेत में जाता है। जो अत्यन्त आवश्यक व प्रार्थी के खेत तक पहुचने का एकमात्र रास्ता है वर्णित रास्ता सुविधा का न होकर आवश्यकता का है उक्त वर्णित रास्ता के अलावा प्रार्थी के खेत तक पहुचने का अन्य रास्ता नही है । वर्णित रास्ता से ही प्रार्थी अपने खेत मे आवागमन करता है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) मे यह अभि निर्धारित किया गया है कि कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहुचने के लिए अन्य खातेदार भी जोत मे से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है और पारस्परिक सहमति से तय नही होता है तो ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए श्रीमान्जी के समक्ष उक्त धारा के तहत आवेदन करने पर श्रीमान्जी द्वारा सीमांकन किया जा सकता है या दर्शित लाईन से होकर एक नया मार्ग ऐसा प्रतिकर के संदाय पर मंजूर किया जा सकता है। प्रार्थी सरकारी डी.एल.सी रेट या प्रतिकर संदाय हेतु तैयार है। वर्णित रास्ता अत्यधिक आवश्यकता का है और यह प्रार्थी के खेत के लिए केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नही है। प्रार्थी के खेत में पहूचने के लिए वर्णित रास्ते के वैकल्पिक रास्ता के अभाव मे है । श्रीमान्जी द्वारा उक्त भूमि का राजस्व अभिलेख मे रास्ता के रूप में अभिलिखित करने पर प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ता भूमि को किसी अन्य अधिकार में अर्जित करने का अधिकार नही रहेगा। यह है कि प्रार्थी के विवादित रास्ता की भूमि रोही कुनपालसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ मे स्थित है वर्णित रास्ता आवश्यकता का है इसलिए प्रार्थना पत्र श्रीमानजी के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार का है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र समयवधि के भीतर व उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तूत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तूत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जा काश्त के खेत खसरा नम्बर 174 तादादी 5.8100 हैक्टेयर रोही कुनपालसर का रास्ता गांव कुनपालसर से गांव बम्बलू कटाणी रास्ता जो अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के खेत खसरा नम्बर 172 तादादी 17.6500 हैक्टेयर मे से जाता है उसमे फंटकर अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 172 के उतरी सींव सींव चलकर प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 174 मे प्रवेश करता है जिसकी लम्बाइ 191 मीटर व चौड़ाई 5 मीटर कुल 196 मीटर है परन्तु अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 अपने खेत खसरा नम्बर 172 तादादी 17.6500 हैक्टेयर मे से चल रहे रास्ता को अवरूद्ध करते है जिसकी लम्बाई 191 मीटर चौड़ाई 5 मीटर है या वाद रिपोर्ट जितनी लम्बाई का रास्ता मौके पर पाया जावे उस रास्ता को अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के उपरोक्त खेत मे [illegible] रास्ता (कटाणी) दर्ज किया जाकर रास्ता देने का आदेश अप्रार्थी संख्या 3 [illegible] किया जावे। प्रार्थी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.04.28 16:15:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने उभयपक्षकरान की उपस्थित मै तैयार मौका रिपोर्ट पेश की गई। बहस प्रार्थना पत्र उभयपक्षकारान सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 172 में से प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 174 में आवागमन का कोई रास्ता कभी मौके पर नही था और ना ही वर्तमान में है । प्रार्थी धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधि. के तहत किसी प्रकार से अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से रास्ता प्राप्त करने का अधिकार नही रखता है। प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 174 के पश्चिम में स्थायी कट्टाणी मार्ग मौके पर चला आ रहा है। अप्रार्थीगण खेत खसरा नम्बर 172 वाकेरोही कुनप्रालसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के खातेदार है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि अप्रार्थीगण के चिपते ही स्थित है, अप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 174 में आवागमन का रास्ता सदामत से कट्टाणी मार्ग के रूप में पश्चिमी दिशा की सीवं के सहारे–सहारे चला आ रहा है व प्रार्थी इसी कट्टाणी रास्ते से अपनी खातेदारी भूमि में प्रवेश करता है, जो वर्तमान में आवागमन के लिए खुला रास्ता है, प्रार्थी ने जानबूझकर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत नक्शा में अपनी खातेदारी भूमि के पश्चिमी तरफ जानबूझकर रास्ता नही बताया है। अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 172 में से कभी कोई रास्ता खसरा नम्बर 174 में आवागमन के लिए नही रहा है ना ही ऐसा कोई रास्ता खसरा नम्बर 172 में से खसरा नम्बर 174 में अपने जाने के लिए मौके पर मौजूद है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 174 में आवागमन का कट्टाणी रास्ता मौके पर मौजूद होने के कारण प्रार्थी अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ता प्राप्त करने का अधिकार नही रखता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की परिधि मे नही आने के कारण प्रथम दृष्ट्या काबिजे खारिज है एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने अपनी बहस करते हुए कथन किया गया कि वर्तमान में प्रार्थी अपने खेत में ख. सं. 172 में से चल रहे कटाणी रास्ते से आते जाते है। प्रार्थी के खेत के निकटतम दूरी से रास्ता ख. सं. 175, 176, 177 में से चलता है जो कटाणी है। प्रार्थी के खेत के पास से गुजरने वाले कटाणी रास्तों में से पश्चिम दिशा में ख. नं. 175, 176, 177 में से चल रहा रास्ता अधिक उपयुक्त व आवश्यक है। प्रार्थी वर्तमान में ख.नं. 172 की उतरी सीमा के पास से अपने खसरे में आता जाता है। जिसमें मौके पर झाड़िया व खरपतवार उगी हुई है। प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने के लिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.04.28 16:15:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

अत्यधिक आवश्यकता है। ख.सं. 175, 176, 177 में से चलने वाला कटाणी रास्ता जो प्रार्थी के खसरे से चिपता हुआ चलता है। सर्वोधिक उपयुक्त है।

हमने उभयपक्षकारन की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। स्टेट की ओर से प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अवलोकन से प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 174 में पहुंचने हेतु रिकार्डेड कट्टाणी रास्ता है। प्रार्थी अपनी सुविधा के अनुसार नया रास्ता कायम करवाना चाहता है। जबकि प्रार्थी को अपनी जोत तक पहुंचने हेत रिकार्डेड कट्टाणी रास्ता उपलब्ध है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) की मूलभूत शर्त है कि आवेदक/प्रार्थी के जोत तक पहुंच मार्ग का अभाव सिद्ध होना चाहित। उक्त प्रार्थना पत्र में भूमिधारी तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि प्रार्थी का अपनी जोत तक पहुंचने के लिए पहले से रिकार्डे रास्ता उपलब्ध है। प्रार्थी अपनी जोत तक पहुंचने के लिए रिकार्डेड उपलब्ध मार्ग का उपयोग कर सकता है। अतएव न्यायालय का मत है कि इस परिस्थिति में प्रार्थी को अपनी जोत तक पहुंचने के लिए उसकी सुविधानुसार एक नया रास्ता नहीं दिया जाना चाहिए। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) की परिधि में नही आता है। लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 30.03.2026 को मेरे द्वार लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.04.28 16:15:29 IST
Reason: SelfAttested